(19)

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी
वर्ग 1 और 2 के
(वैकल्पिक मराठी भाषा परीक्षा)
विनियम, 1977

साधारण सेवाएं विनियम – प्रमुख बंदरगाह अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 के साथ पढ़ी जानेवाली धारा 126 द्वारा दिए गए अधिकारों का उपयोग करते हुए सरकार निम्नलिखित पहला विनियम बनाती है –

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ** – (1) ये विनियम मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी वर्ग 1 और 2 (वैकल्पिक मराठी भाषा परीक्षा) विनियम, 1977[1] कहलाए जाएंगे.

   (2) ये विनियम सरकारी राजपत्र[2] में प्रकाशित हो जाने की तिथि से लागू होंगे.

2. **परिभाषाएं** – इन विनियमों के जबतक अन्यथा आवश्यक न हो, –

   (क) "मंडल", "अध्यक्ष", "उपाध्यक्ष" और विभाग प्रमुख इन सबका अर्थ वही होगा जो प्रमुख बंदरगाह अधिनियम 1963 (1963 का 38) में उन्हें क्रमशः दिया गया है.

   (ख) वर्ग 1 और 2 से वही अर्थ अभिप्रेत है जो उन्हें मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) विनियम, 1976 में दिया गया है.

   (ग) "परीक्षा" अर्थात् महाराष्ट्र सरकार द्वारा उनके अमराठी भाषी अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए ली जानेवाली निम्नस्तर मराठी भाषा परीक्षा, जो परीक्षा देने के लिए उस सरकार ने मुं.पो.ट्र. कर्मचारियों को भी अनुमति दी है.

3. **योग्यता की शर्तें** – जिन कर्मचारियों की मंडल के अधीन वर्ग 1 और वर्ग 2 के पदों पर सीधी भर्ती इन विनियमों के लागू होने के बाद हुई, वे कर्मचारी प्रारंभ में इस परीक्षा में प्रवेश के लिए योग्य होंगे.

परंतु वे कर्मचारी जिनकी मातृभाषा मराठी है या जिन्होंने एस.एस.सी. या उसकी समकक्ष या उससे उच्चस्तरीय परीक्षा "मराठी" एक विषय के रूप में लेकर उत्तीर्ण की है, वे इस परीक्षा के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे.

4. **योग्यता संबंधी निर्णय** – यदि (उपरोक्त) परीक्षा में प्रवेश पाने की योग्यता/अयोग्यता के बारे में कोई प्रश्न उपस्थित हो, तो उसपर आवश्यक निर्णय अध्यक्षजी द्वारा दिया जाएगा.

---

1. नौवहन व परिवहन मंत्रालय की दिनांक 19 अक्तूबर 1977 की अधिसूचना क्र.पीईबी–5/75 दिनांक 12 नवम्बर 1977 के भारतीय राजपत्र भाग–2, धारा–3, उपधारा (1) में प्रकाशित की गई.

2. 12 नवम्बर 1977 से लागू.

5. **एकमुश्त इनाम** – **कर्मचारी** अपनी **नियुक्ति की तिथि से पांच वर्ष की अवधि में अपनी इच्छा से किसी भी** समय (उपरोक्त) परीक्षा दे सकता है. यदि वह ये परीक्षा उक्त समय में उत्तीर्ण कर लेता है, तो वह एक हजार रूपये का एकमुश्त इनाम पाने के लिए योग्य होगा.

6. **परीक्षा का आयोजन** – (1) महाराष्ट्र सरकार के तदर्थ मंडल (अॅडहॉक बोर्ड) (मराठी प्रशिक्षण) द्वारा ली जानेवाली परीक्षा के लिए आवेदन पत्र इन विनियमों के उद्देश्य के लिए विनियम 7 में निर्दिष्ट पद्धति से भरे जाएंगे.

(2) परीक्षा की तिथि एवं स्थान उक्त तदर्थ मंडल (मराठी प्रशिक्षण) द्वारा समय-समयपर निर्धारित किया जाएगा.

7. **परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र** – (1) जो कर्मचारी (उपरोक्त) परीक्षा में प्रवेश लेना चाहता है, वह परीक्षा-प्रवेश के लिए अपना आवेदन पत्र अपने विभाग प्रमुख के जरिए इस दृष्टि से प्रस्तुत करें कि वह आवेदन पत्र तदर्थ मंडल (मराठी प्रशिक्षण) महाराष्ट्र सरकार द्वारा निश्चित की गई तिथि के अंदर तदर्थ मंडल के पास पहुंच सके.

(2) इस प्रकार निश्चित की गई तिथि के बाद तदर्थ मंडल को प्राप्त होनेवाले आवेदन पत्र अस्वीकार भी किए जा सकते हैं.

8. **परीक्षा का पाठयक्रम व उत्तीर्ण होने के लिए गुणांक** – (उक्त) परीक्षा के प्रश्नपत्र व पाठ्यक्रम तथा परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए जरूरी गुणांक आदि इन विनियमों से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए अनुसार रहेगा.

9. **फीस (शुल्क)** – **परीक्षा के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा निर्धारित परीक्षा फीस, यदि हो,** तथा उपरोक्त पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक किताबों का खर्चा मंडल (बोर्ड) द्वारा उठाया जाएगा.

10. **अर्थनिर्णय** – इन विनियमों के अर्थनिर्णय के संबंध में अथवा जिसके बारे में यहां स्पष्ट रूप से व्यवस्था न की गई हो, ऐसे किसी मामले में यदि कोई प्रश्न उठता है, तो मामला केंद्र सरकार के पास जाएगा और केंद्र सरकार उसपर निर्णय लेगी.

....

अ नु सू ची

(विनियम 8 देखिए)

(ए) निम्न श्रेणी मराठी परीक्षा का पाठ्यक्रम

प्र श्न प त्र – 1

	गुणांक
निर्धारित पाठ्यक्रम पुस्तक –	
एक पाठ्यक्रम विस्तृत अभ्यास के लिए और एक पाठ्यक्रम पुस्तक साधारण (नॉन-डिटेल्ड) अभ्यास के लिए.	100
(क) विस्तृत अभ्यास के पाठ्य पुस्तक – पाठ्यों के संदर्भ में साधारण प्रश्न पूछे जाएंगे. संदर्भ सहित स्पष्टीकरण के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे.	35
(ख) साधारण अभ्यास के पाठ्य पुस्तक – साधारण स्वरूप के प्रश्न पूछे जाएंगे.	30
(ग) अंग्रेजी से मराठी में अनुवाद के लिए अनुच्छेद पाठ्य पुस्तक में से ही दिये जाएंगे.	20
(घ) पाठ्यक्रम में आये व्याकरणपर प्रश्न	15

प्रश्नपत्र-2....

प्रश्न पत्र - 2

		गुणांक
साधारण व्याकरण और कम्पोजिशन		100
(क)	व्याकरण - वाक्य रचना, शब्द रचना काल की ठीक योजना, लिंग व संज्ञा, सर्वनाम, वगैरह पर व्याकरण की परीक्षा आधारित होगी. अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना तथा वाक्यों का रूपांतरण करना तथा रिक्त स्थानों की पूर्ति वगैरह प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे.	35
(ख)	(1) सार-लेखन (20 गुणांक) (2) शुद्ध वर्तनी तथा विरामचिन्ह (20 गुणांक)	40
(ग)	दिए गए अंशों की मदद से एक या दो अनुच्छेद लिखना, तथा कहानी बनाना अथवा कल्पना विस्तार.	25
मौखिक परीक्षा		100
(क)	साधारण विषयोंपर प्रश्न	50
(ख)	निर्धारित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित प्रश्न	50

बी. पाठ्यपुस्तक.....

(बी) पाठ्य पुस्तक

(1) संपूर्ण अभ्यास के लिए.

(2) साधारण अभ्यास के लिए.

(3) व्याकरण के अभ्यास के लिए अनुशंसित पुस्तक.

(सी) परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए जरूरी गुणांक.

परिक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक गुण निम्न प्रकार होंगे -

(1) उत्तीर्ण होने के लिए	:	हर प्रश्न में तथा मौखिक परीक्षा में 40 प्रतिशत
(2) प्रशंसनीय सफलता के लिए	:	कुल गुणांक के 75 प्रतिशत

B. Text Books

(i) For detailed study -

सुंदर पत्रे - भाग 1 - साने गुरुजी.

(ii) For non-detailed study -

दौलत - ना. सी. फडके.

(iii) Books recommended for study of grammar -

व्याकरण निबंध - राजभाषा परिचय, भाग 1, 2, 3 व भाग 4 मधील प्रकरणे 1, 2, 3, 5, 8 ते 14 व 30.

C. Marks for passing the examination.

Marks to be obtained for passing the examination shall be as follows, namely :-

(i)	For passing	...	40 per cent of marks in each paper and in oral test.
(ii)	For passing with credit	...	75 per cent of the aggregate marks.